

दिल्ली विधान सभा
समाचार भाग-2

४ विधायी तथा अन्य मामलों से सम्बन्धित सामान्य जानकारी {
मंगलवार, 7 मार्च, 1995 / फाल्गुन 18, 1916 शक

संख्या. 153

सदस्यों की नज़रबन्दी एवं रिहाई

माननीय अध्यक्ष, विधान सभा को सम्बोधित पुलिस उपायुक्त,
नई दिल्ली ज़िला, नई दिल्ली का दिनांक 2.3.1995 का निम्नलिखित
पत्र दिनांक 6 मार्च, 1995 को प्राप्त हुआ था :-

" मुझे आपको यह ससम्मान सूचित करना है कि दिल्ली विधान सभा
के माननीय सदस्य श्री रामवीर सिंह विधुड़ी व श्री परवेज हाशमी
को उनके अन्य समर्थकों सहित दिल्ली पुलिस अधिनियम, 1978 की
धारा 65 के तहत आज अर्थात् 2.3.95 को अपराहन 2.55 बजे
पुलिस के विधिसंगत निदेशों की संसद मार्ग पर अवहेलना करने के
संबंध में नज़रबन्द किया गया था ।

उन्हें उसी दिन अर्थात् 2.3.95 को अपराहन 3.10 बजे
थाना संसद मार्ग, नई दिल्ली से रिहा कर दिया गया था ।

पी. एन. गुप्ता
सचिव

DELHI LEGISLATIVE ASSEMBLY

BULLETIN PART-II

(General information relating to legislative & other matters)

Tuesday, March 7, 1995/Phalguna 16, 1916 (Saka)

No.153

DETENTION AND RELEASE OF MEMBERS

The following communication dated 2.3.1995 addressed to the Hon'ble Speaker, Delhi Legislative Assembly, from the Deputy Commissioner of Police, New Delhi District, New Delhi was received on 6th March, 1995 :-

"I have the honour to inform you that Shri Ramvir Singh Bidhuri and Shri Parvej Hashmi, Hon. Members of Legislative Assembly, Delhi alongwith their other supporters were detained under section 65 of Delhi Police Act, 1978 for disobeying the lawful directions of Police from Parliament Street, New Delhi at 1455 hrs. today i.e. 2.3.95.

They were released at 1510 hrs. from Police Station Parliament Street, New Delhi, the same day i.e. 2.3.95."

P.N. GUPTA
SECRETARY